परिपत्र संख्या-स0द0/25-क/रोड चेकिंग/कम्प्यूटर परि0सं0 1920036 / 749 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 09 जुलाई, 2019

समस्त
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),
असिस्टेन्ट कमिश्नर (सचलदल),
वाणिज्य कर अधिकारी(सचलदल),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः माल का परिवहन करने वाले वाहनों की रोड चेकिंग।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा-68 एवं उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम-138B में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मालयुक्त वाहनों की परिवहन के दौरान जांच को सरल एवं प्रभावी बनाने हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं :-

(1) माल के परिवहन हेतु नियमानुसार वांछित ईवेबिल के सत्यापन हेतु एक मोबाईल एन्ड्राएड एप का विकास कराया गया है जिससे माल के परिवहन के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले ईवेबिल पर अंकित QR Code को स्कैन करते हुए विभागीय वेबसाईट पर सबमिट करने से उक्त ईवेबिल सम्बन्धी वांछित विवरण सर्वर पर स्वतः प्राप्त हो जाएगा तथा उक्त ईवेबिल से आच्छादित टैक्स इनवायस के संग्रहण एवं तत्पश्चात उसकी बिल माड्यूल पर फीडिंग की आवश्यकता नहीं रह जाने से रोड चेकिंग का कार्य सरल एवं प्रभावी होगा।

(2) उक्त ईवेबिल सत्यापन एन्ड्राएड एप को विभागीय वेबसाईट http://comtax.up.nic.in के होम पेज पर डीलर सर्च मेन्यू में जाकर अथवा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा।

(3) ईवेबिल में घोषित आपूर्तिकर्ता अथवा प्राप्तकर्ता में से एक व्यापारी प्रान्त के अंदर का होने पर ही इस एप से QR Code स्कैन किया जाएगा।

(4) जांच किए गए प्रत्येक वाहन में लदे माल से सम्बन्धित प्रस्तुत किए गए ईवेबिल का सत्यापन एन0आई0सी0, कर्नाटक द्वारा विकसित एप के माध्यम से पूर्व की भांति ही किया जाय।

(5) जांच किए गए प्रत्येक वाहन में रु0 50000.00 से कम मूल्य के माल से सम्बन्धित पाए गए प्रत्येक ऐसे टैक्स इनवायस जिसमें एक व्यापारी प्रान्त के अंदर का हो, को संग्रहीत करते हुए इसे बिल माड्यूल पर फीड किया जाय।

(6) ईवेबिल सत्यापन एप से स्कैन किए गए QR Code से प्राप्त विवरण एवं रु0 50000.00 से कम मूल्य के फीड किए गए बिलों में अंकित वाहनों के आधार पर माह में जांच किए गए वाहनों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा।

(7) रोड चेकिंग का विवरण रोड चेकिंग रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। प्रचलित रोड चेकिंग रजिस्टर को सरल एवं सुविधानजक बनाने हेतु निम्न प्रारूप में रखा जाय -

i. अधिकारी का नाम-
ii. पुलिस कर्मी एवं अन्य कर्मचारियों के नाम-
iii. रोड चेकिंग में प्रयुक्त वाहन संख्या-
iv. जांच का स्थान-
v. जांच की तिथि-
vi. जांच का समय- ---- से ---- तक

क्र0सं0	वाहन संख्या	अभियुक्ति
1	2	3

रोड चेकिंग के दौरान जांच किए गए प्रत्येक वाहन की प्रविष्टि तत्समय ही इस रजिस्टर के कालम-2 में सुनिश्चित की जाएगी। कालम-3 में सम्व्यवहार की प्रकृति, ईवेबिल उपलब्ध अथवा अनुपलब्ध होने, रु0 50000.00 से कम मूल्य के बिल होने, संवेदनशील वस्तु, चिन्हित ट्रांसपोर्टर से सम्बन्धित होने आदि का संक्षिप्त तथ्य अंकित किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि रोड चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार माल परिवहन करने वाले व्यक्ति का उत्पीड़न न हो।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाण्ज्यि कर, उत्तर प्रदेश।